

(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 201

नई दिल्ली,
शुद्धिपत्र

12.12.2008

(नवम्बर 2008 के 25वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) के दरमान के सामान्य संशोधन के संबंध में प्रकरण सं. टीएएमपी/67/2005-केपीटी में 15 मई 2007 को एक आदेश पारित किया गया था। यह आदेश और संशोधित दरमान भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-III खंड-4) में 12 जून 2007 को राजपत्र सं.126 में अधिसूचित किया गया था।

2. यह नोटिस किया गया है कि 12 जून 2007 को अधिसूचित दरमान में कुछ टाइपिंग संबंधी त्रुटियाँ छूट गई हैं। केपीटी के दरमान में “कार्गो संबंधी प्रभार” से संबंधित अध्याय III के अन्तर्गत खंड। पोतघाट प्रभार की अनुसूची में पीओएल उत्पादों से संबंधित वर्तमान क्रम सं. (क)। (ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“पोतघाट प्रभासे की अनुसूची”

क्रम सं.	वस्तुओं का विवरण	यूनिट	विदेशी दरे (रु. मे.)	तटीय दरे (रु. मे.)
(क)	तरल (थोक मात्रा में)	-	-	-
।	पीओएल और उत्पाद	-	-	-
(ख)	पीओएल उत्पाद	मी.ट.	26.25	26.25

(ब्रह्म दत्त)

अध्यक्ष